

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 24.02.25

क्रमांक रीडर/2025/ 808

प्रार्थी बनाम

अप्रार्थीगण

1 नथारम पुत्र
केसराराम जाति
कुमावत निवासी
रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 नारायणराम 2 प्रभूराम पिसरान दलाराम 3 किशनीदेवी पत्नी दलाराम 4 शंकरलाल पुत्र नवलाराम 5 गाधाराम 6 द्वारकाराम 7 अर्जुनलाल पिसरान अलसाराम 8 केदाराराम पुत्र सुरताराम 9 चौथाराम पुत्र सोनाराम 10 छगनाराम पुत्र सुरताराम 11 जगना पत्नी लाधाराम 12 डामराराम पुत्र सुरताराम 13 धाईदेवी पत्नी कालूराम 14 धाईदेवी पत्नी सुरताराम 15 नीम्बाराम पुत्र सुरताराम 16 भमराराम 17 मेराज 18 राणाराम पिसरान कालूराम 19 चेनाराम 20 नगाराम पिसरान करनाराम 21 ढेलीदेवी पत्नी करनाराम 22 अलसाराम पुत्र भैराराम 23 गंगा पत्नी भैराराम 24 चंदनाराम पुत्र भैराराम 25 टीकमाराम 26 धाराराम 27 नखताराम 28 पताराम 29 मालाराम पिसरान रूपाराम 30 भीमाराम पुत्र केसराराम 31 जगदीश पुत्र घमूराम 32 पेमाराम पुत्र पुरखाराम 33 राजेश पुत्र घमूराम 34 सुन्दर पत्नी घमूराम 35 जेठी पुत्री घमूराम 36 नेनूदेवी पत्नी पुरखाराम 37 बंदूदेवी पुत्री पुरखाराम 38 मरुओदेवी पत्नी पुरखाराम 39 मूली पुत्री घमूराम 40 तुलछी पत्नी चुतराराम जातियान कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर। 41 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-726/2024

दिनांक-11/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 845/188 रकबा 5.3742 हेक्टर, खसरा संख्या 846/199 रकबा 3.5369 हेक्टर व मौजा कपुरडी पटवार क्षेत्र कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 874/187 रकबा 2.6547 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 809-12

दिनांक- 24.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपुरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नथारम पुत्र केसराराम जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण नारायणराम पुत्र दलाराम वगैरह जाति कुमावत निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर